उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सुशीला देवी
बनाम
नान्दु यादव

आदेश फलक तारीख............से..............तक।जिला – गुमला
वाद सं0 :– **05/2017–18**

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Miscellaneous Appeal)

अपीलार्थी श्रीमती सुशीला देवी पति–प्रभु अहीर ग्राम–घाघरा, कठ ठोकवाटोली थाना–विशुनपुर जिला–गुमला द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के विविध वाद सं0 – 03/2014–15 में पारित आदेश, असंतुष्ट व विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील किया है।

अपीलार्थी के Miscellaneous Appeal Petition पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना मुकदना वाली प्रश्नगत जमीन को लेकर दोनो पक्षों एवं ग्रामीणों के मध्यस्था से समझौता हुआ कि ग्राम–घाघरा कठ ठोकवाटोली थाना–विशुनपुर जिला–गुमला के खाता सं0–144 प्लॉट सं0–1421 रकबा–0.63 एकड़ पर अपीलार्थी सुशीला देवी अपना दखल छोड रही है तथा उत्तरवादी नन्दु यादव अपीलार्थी को 13000.00 (तेरह हजार रु0 मात्र) देगें तथा शेष मुकदमे वाली जमीन पर अपीलार्थी सुशीला देवी का दखल कब्जा पूर्व से है और रहेगा उस पर उत्तरवादी को किसी प्रकार का आपत्ति है और न होगा। उभय पक्षों के द्वारा उपरोक्त शर्त के आधार पर खाता सं0–144 प्लॉट सं0–1421 रकबा–0.63 एकड़ पर उत्तरवादी के पक्ष में तथा शेष जमीन पर अपीलार्थी सुशीला देवी के अपील को स्वीकार करते हुए वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उभय पक्षों के समझौता आवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई सामाप्त की जाती है।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय की मूल अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला को भेज दें।

लेखापित एवं संशोधित

05.05.22
उपायुक्त,
गुमला

05.05.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 12:25:47 +05:30
Location: 192.168.5.101